राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 919–तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–5–2014	आवेदक भिन्डू पुत्र स्व0 रामकिशुन अहिरवार की ओर से श्री एस0के0 श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 110/2012–13/अपील में पारित अंतरिम अदेश दिनांक 11–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 11–2–14 का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के प्रकरण कमांक 121/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–7–13 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को पंजीबद्ध कर उत्तरवादियों को सचूना एवं अभिलेख तलब किये जाने के आदेश दिये हैं। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30–8–13 के द्वारा अनावेदक का धारा 52 स्वीकार करते हुये 30 दिवस अथवा अभिलेख प्राप्त होने तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थगित रखा गया। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्राप्त होने तक तहसील न्यायालय का आदेश स्थगित रखने में त्रुटि की गई है। 3/ अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र एक पेशी दिनांक 30–8–13 को 30 दिवस के लिए स्थगन दिया है और आगामी आदेश पत्रिकाओं में स्थगन के	

आदेश का कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 की परिधि में ही स्थगन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य